भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 270
बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के गुणवत्ता मानक और वहनीयता</u>

*270. डॉ. अमर सिंहः
श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित किए जाने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के माध्यम से टिकाऊपन और वहनीयता के बीच के अंतर को पाटा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण समुदायों के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार अधिक वहनीय और सुलभ बनाया जा सकता है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

**<u>विवरण</u>**

'नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के गुणवत्ता मानक और वहनीयता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 270 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी, हाँ।

(ख) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा विभिन्न नीतियों, योजनाओं और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से स्वदेशी मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित किया जाता है, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। इससे टिकाऊपन तथा वहनीयता के अंतर को कम करने में भी सहायता होती है। इस संबंध में एमएनआरई द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(ग) एमएनआरई, अपनी विभिन्न चल रही योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण समुदायों सहित देश में अक्षय ऊर्जा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान कर रहा है। सीएफए का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

**<u>अनुलग्नक-I</u>**

'नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के गुणवत्ता मानक और वहनीयता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 270 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

एमएनआरई द्वारा विभिन्न नीतियों, योजनाओं और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से उठाए गए कदम:-

- उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यान्वयन, जिसमें पीएलआई राशि, सौर पीवी विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों में स्थानीय सामग्री से जुड़ी हुई है। यह दीर्घकालिक टिकाऊपन तथा वहनीयता सुनिश्चित करता है।
- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम के घटक-ख और ग तथा सीपीएसयू योजना चरण-II का कार्यान्वयन, जिसमें, स्थापना में प्रयोग होने वाले सौर पीवी मॉड्यूलों को स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता की शर्त को पूरा करना चाहिए, अर्थात्, स्वदेशी रूप से निर्मित सेलों से निर्मित स्वदेशी निर्मित मॉड्यूल।
- सौर फोटोवोल्टेक उत्पादों (अर्थात् सौर पीवी मॉड्यूल, इनवर्टर और स्टोरेज बैटरी) और सौर वॉटर हीटर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किए गए।
- 'मॉडलों और निर्माताओं की संशोधित सूची' (आरएलएमएम) के अंतर्गत प्रकार और गुणवत्ता प्रमाणित पवन टरबाइनों को सूचीबद्ध करने हेतु दिशानिर्देश, जिसके अनुसार हब और नैसेल असेंबली/विनिर्माण सुविधा भारत में होना अनिवार्य है।
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने सौर डीसी केबल के लिए क्यूसीओ अधिसूचित किया है।
- भारत सरकार ने सौर सेल, सौर मॉड्यूल और सौर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क लगाया है।
- सौर पीवी विद्युत संयंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय सौर पीवी सेलों तथा मॉड्यूलों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एमएनआरई ने सौर फोटोवोल्टेक मॉडलों के अनुमोदित मॉडल और विनिर्माता (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2019 जारी किया, जिसमें पात्र मॉडलों और विनिर्माताओं को मॉडलों तथा विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) में सूचीबद्ध किया गया है।

**अनुलग्नक-II**

'नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के गुणवत्ता मानक और वहनीयता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 270 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का ब्यौरा

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)</th></tr>
<tr><td>क) पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना</td><td>आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>आवासीय खंड का प्रकार</th><th>सीएफए</th><th>सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)</td><td>30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td></tr>
<tr><td>4</td><td>समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
</table>
इसके अतिरिक्त, डिस्कॉमों/स्थानीय निकायों, आदर्श सौर गांव का विकास, उन्नत परियोजनाएं, भुगतान सुरक्षा तंत्र, क्षमता निर्माण, जागरुकता और आउटरीच आदि के लिए प्रोत्साहन के रूप में सहायता भी उपलब्ध है।</td></tr>
<tr><td>ख) पीएम-कुसुम योजना</td><td>घटक-क: इस योजना के तहत किसानों की बंजर/ऊसर/चारागाह/दलदली भूमि पर विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों से सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है।<br><br>घटक-ख: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी</td></tr>
</table>

| योजना/कार्यक्रम | केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) |
|---|---|
| | कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।<br><br>घटक-ग: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।<br><br>(ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्त्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है। |
| ग) सौर पार्क योजना | (क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक।<br>(ख) अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो। |
| घ) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)। | प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता। |
| ङ) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम' | लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है:<br>(i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा;<br>(ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (दक्षता और अधिकतम विद्युत का ताप गुणांक (टैंपरेचर कोएफिशियेंट)); और<br>(iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता। |
| च) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजाति और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए): | • इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में एक लाख गैर-विद्युतीकृत घरों (एचएच) को ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के प्रावधान के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाएगा।<br>• इस योजना में पीएम जनमन के तहत अनुमोदित पीवीटीजी क्षेत्रों में 1500 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) में ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रावधान शामिल है। |

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)</th></tr>
<tr><td></td><td>
<ul>
<li>इसी प्रकार, इस योजना में डीए जेजीयूए के तहत स्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों के सौरीकरण का प्रावधान भी शामिल है। ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियां केवल वहीं प्रदान की जाएंगी जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है</li>
<li>पीएम जनमन और डीए जेजीयूए के अंतर्गत योजना के लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय निम्नानुसार है:</li>
</ul>
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>घटक</th><th>केन्द्रीय हिस्सा (100%)</th><th>अनुमोदित वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)</th><th>समयावधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी एचएच के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रिड प्रणाली का प्रावधान</td><td>50,000 रु. प्रति घर अथवा वास्तविक लागत के अनुसार</td><td>500</td><td rowspan="2">वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान</td><td>1 लाख रु. प्रति एमपीसी</td><td>15</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थाओं का सौरीकरण</td><td>1 लाख प्रति किलोवाट</td><td>400</td><td>वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>छ) पवन ऊर्जा</td><td>पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए उपलब्ध लाभ निम्नानुसार हैं:-<br>(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 19 जून 2024 को 7453 करोड़ के कुल परिव्यय पर 'अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना' को अनुमोदित किया है, जिसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक के तट पर 500 मेगावाट) की स्थापना और कमीशनिंग के लिए 6853 करोड़ का परिव्यय और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो पत्तनों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ का अनुदान शामिल है। एमएनआरई द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2024 को "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजना" के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए गए।<br>(ख) दिनांक 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले चालू पवन परियोजनाओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) प्रदान किया जा रहा है।<br>(ग) पवन विद्युत जनरेटरों के उपकरणों के विनिर्माण के लिए आवश्यक कुछ वस्तुओं पर रियायती सीमा शुल्क में छूट।</td></tr>
<tr><td>ज) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना (अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए)</td><td>(क) जीईसी चरण-I: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।<br>(ख) जीईसी चरण-II: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 33% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।</td></tr>
</table>

| योजना/कार्यक्रम | केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) |
|---|---|
| झ) बायोमास कार्यक्रम | (क) ब्रिकेट निर्माण संयंत्र के लिए: 9 लाख रु. प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन/घंटे) (अधिकतम सीएफए – 45 लाख रु. प्रति परियोजना)<br>(ख) गैर-खोई सह-उत्पादन परियोजना के लिए: 40 लाख रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए – 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)<br>(ग) उन पेलेट संयंत्रों के लिए जिनके आवेदन दिनांक 16.07.2024 से पहले प्राप्त हो गए हों: 9 लाख रु. प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन/घंटे) (अधिकतम सीएफए – 45 लाख रु. प्रति परियोजना)<br>(घ) उन पेलेट संयंत्रों के लिए जिनके आवेदन दिनांक 16.07.2024 को या उसके बाद प्राप्त हुए हैं:<br>i. गैर-टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र के लिए: 21 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 एमटीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 105 लाख रु. प्रति परियोजना)<br>ii. टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र के लिए: 42 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 एमटीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 210 लाख रु. प्रति परियोजना) |
| ञ) बायोगैस कार्यक्रम | (क) लघु बायोगैस संयंत्रों (1-25 घन मीटर प्रति दिन क्षमता के संयंत्र) के लिए घन मीटर में संयंत्र के आकार के आधार पर प्रति संयंत्र 9,800/- रु. से 70,400/- रु.<br><br>(ख) विद्युत उत्पादन के लिए प्रति किलोवाट 35,000/- रु. से 45,000/- रु. और थर्मल अनुप्रयोगों के लिए प्रति किलोवाट समतुल्य 17,500/- रु. से 22,500/- रु. (25-2500 घन मीटर प्रति दिन संयंत्र क्षमता)।<br><br>पात्र सीएफए पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपसमूह, पंजीकृत गौशालाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए मानक सीएफए से 20% अधिक होगा। |
| ट) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम | (क) बायोगैस उत्पादन के लिए: 0.25 करोड़ रु. प्रति 12,000 घन मीटर प्रति दिन (अधिकतम सीएफए – 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)<br><br>(ख) बायो-सीएनजी/संवर्धित बायोगैस/कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन:<br>(अधिकतम सीएफए – 10 करोड़ रु. प्रति परियोजना)<br>(i) नए बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन – 4.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन<br>(ii) मौजूदा बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन – 3.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन<br><br>(ग) बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन: (अधिकतम सीएफए – 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना)<br>(i) नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.75 करोड़ रु. प्रति मेगावाट<br>(ii) मौजूदा बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.5 करोड़ रु. प्रति मेगावाट<br><br>(घ) जैव एवं कृषि औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन (दहन प्रक्रिया के जरिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को छोड़कर) के लिए: 0.40 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए – 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना) |

| योजना/कार्यक्रम | केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) |
|---|---|
| | (ङ) विद्युत/थर्मल अनुप्रयोगों के लिए बायोमास गैसीफायर:<br>(i) विद्युत अनुप्रयोग के लिए ड्यूअल फ्यूल इंजन के साथ 2,500/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य<br>(ii) विद्युत अनुप्रयोग के लिए 100% गैस इंजन के साथ 15,000/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य<br>(iii) थर्मल अनुप्रयोगों के लिए 2 लाख रु. प्रति 300 किलोवाट थर्मल समतुल्य<br><br>नोट:<br>• यदि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र विशेष श्रेणी वाले राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड), जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित किए जाते हैं, पात्र सीएफए उपर्युक्त मानक सीएफए पैटर्न से 20% अधिक होगी।<br>• गौशाला द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त उद्यमों/साझेदारी के जरिए स्थापित, मुख्य फीडस्टॉक के रूप में पशु गोबर पर आधारित बायोगैस/बायो-सीएनजी/विद्युत (बायोगैस आधारित) उत्पादन संयंत्र, मानक सीएफए पैटर्न से 20% से अधिक सीएफए के लिए पात्र होंगे। ये गौशाला (शेल्टर) संबंधित राज्य सरकार के पास पंजीकृत होने चाहिए। |

*****